—: कार्यालय कलेक्टर जिला — खंडवा म0प्र0 :—

क्रमांक —क / वित्त / 2017 / 4667 खंडवा, दिनांक 27 / 03 / 2017

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु विज्ञप्ति

" द्वितीय आमंत्रण"

कार्यालय द्वारा जारी पूर्व निविदा विज्ञप्ति क्र0 क / वित्त / 2017 / 3424 दिनांक 03.03.2017 की निरंतरता में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि कलेक्टर कार्यालय तथा अनुविभागीय अधिकारी हरसूद / पुनासा तथा तहसील मुख्यालय (खंडवा / हरसूद / पंधाना / पुनासा / खालवा) में पदस्थ तहसीलदारो के लिये वाहन किराये पर लिये जाने हेतु मासिक दर पर वित्त वर्ष 2017—18 के लिये टैक्सी कोटे में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से रजिस्र्टेड वाहन महिन्द्रा बोलेरों अथवा समकक्ष (डीजल) (अधिकतम कीमत 6.50 लाख तक) समय समय पर आवश्यकतानुसार किराये पर लिये जाने हैं, इस हेतु संलग्न विस्तृत निविदा शर्तो के साथ सीलबंद निविदायें **फर्मो / संस्थाओं / व्यक्तियों** से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक **06-04-2017** दोपहर **3-00** बजे तक कार्यालय कलेक्टर जिला — खंडवा में आमंत्रित की जाती हैं । उक्त प्राप्त निविदाऐं दिनांक—**07-04-2017** को समय **दोपहर 1.00** बजे कलेक्टर कार्यालय खंडवा के सभाकक्ष में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी ।

—: विस्तृत शर्ते :—

महिन्द्रा बोलेरों वाहन के समकक्ष (अधिकतम कीमत 6.50 लाख तक)

1— वाहन परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य हैं ।

2— वाहन आवश्यकतानुसार जिला मुख्यालय / तहसील मुख्यालय (खंडवा / हरसूद / पंधाना / पुनासा / खालवा) पर लिये जायेगें तथा वाहनों का उपयोग शासकीय कार्य से भ्रमण के लिये किया जावेगा, वाहन जिस भी तहसील के लिये किराये पर लिया जावेगा वाहन प्रदायकर्ता को वाहन उस तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध कराया जाना होगा । वाहन 24 घंटे उपयोगकर्ता अधिकारी के नियंत्रण एंव उनके कार्यालय / निवास स्थान पर रहेगा ।

3— वाहन किराये पर मासिक आधार पर लिया जावेगा ।

4— मासिक किरायें की दरें **मय वाहन चालक** के प्रस्तुत की जावें ।

5— किराये पर उपलब्ध कराया गया वाहन यात्रा के दौरान दुर्गम स्थानों पर भी ले जाया सकेगा । वाहन चालक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उपयोगकर्त्ता अधिकारी के आदेश का पालन करें ।

6— किराये पर दिये जाने वाला वाहन का मॉडल जनवरी— 2015 से पूर्व का नहीं होना चाहिए ।

7— किराये की अवधि में वाहन में डीजल / आईल प्रदाय की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय / तहसील कार्यालय की होगी, जिसका भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा विभागीय मद में उपलब्ध आबंटन में से किया जावेगा । वाहन में डीजल का प्रदाय न्यूनतम 12 कि0मी0 प्रति लीटर के मान से किया जावेगा ।

8— वाहन के संधारण पर होने वाली टूट—फूट / पंचर / बैटरी, टायर टियूब बदलने इत्यादि व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्त्ता की होगी ।

9— वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक हैं, वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारो टायर—टियूब अच्छे होना चाहिए व माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य हैं । इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी ।

..........2........

10– वाहन चालक को हर समय कार्य करने के लिये तैयार रहने का आदेश आवश्यक हैं । अत्यावश्यक होने पर दूरभाष/मोबाईल पर सूचना प्राप्त होते ही उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

11– वाहन चालक के पास नियमानुसार वाहन चालन का वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना आवश्यक हैं तथा वाहन के बीमा/रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होगें । वाहन टेक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व का होना चाहिए । किसी भी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि होने पर वाहन प्रदाता/स्वामी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्चे स्वंय वहन करेगा एवं किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता/स्वामी का होगा, यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती हैं, तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता/स्वामी की होगी, इस हेतु शासन द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जावेगा ।

12– प्रत्येक निविदा–दाता को एक साथ दो भाग में निविदा प्रपत्र पृथक्–पृथक लिफाफों में देने होगें । निविदा प्रपत्र के एक भाग में निविदा का तकनीकी पक्ष सम्मिलित होगा, जिसमें नियम एवं शर्तो को पूरा करने की जानकारी, आवश्यक प्रमाण पत्र तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होगें, जो कि खुला प्रस्तुत करना होगा । जबकि प्रपत्र का दूसरा भाग प्रतिस्पर्धात्मक दरों से संबंधित होगा, जो सील बंद प्रस्तुत किया जाना होगा । तकनीकी पक्ष की जानकारी वाले लिफाफें पर "तकनीकी पक्ष" तथा वित्तिय पक्ष वाले लिफाफें पर "वित्तिय पक्ष" लिखना अनिवार्य होगा ।

13– तकनीकी निविदा से सभी शर्तो का पूरा करने पर प्रतिस्पर्धा हेतु पात्र पाये जाने की स्थिति में ही निविदा–दाता के वित्तीय प्रपत्र को निविदा समिति द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर खोला जावेगा । जिस निविदा–दाता के तकनीकी पक्ष में कमियां अथवा विसंगतियां होगी, उनके निविदा प्रपत्र के वित्तीय भाग को प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

14– रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन, उपयोगकर्त्ता अधिकारी को सामान्यतः दो घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा । दो घंटे से अधिक वाहन खराब होने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा । वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता/स्वामी का होगा ।

15– वाहन प्रदाता/स्वामी को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा । मांग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा राजसात की जा सकेगी । वाहन हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम प्रदाय नहीं किया जावेगा ।

16– वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लागबुक में कराना होगा । प्रमाणित लागबुक की प्रति देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

17– माईलोमीटर की गडबडी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शायें जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सडक मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा ।

18– वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा ।

19– निविदा जमा कराते समय धरोहर की राशि रू0 10000/– (राशि रू0 दस हजार मात्र) का "बैंक ड्राप्ट कलेक्टर जिला – खंडवा के नाम से देय हो" कार्यालय में तकनीकी लिफाफें के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी । आवश्यक दस्तावेजों की जांच हेतु तकनीकी लिफाफा बिना बंद किये जमा कराया जावें ।

.........3..........

20– आवेदन में नाम एवं पता (दूरभाष/मोबाईल नं0 के साथ) स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए, साथ ही निविदाकार को वाहन का पंजीयन, रोड टैक्स, इंश्योरेंस एवं फिटनेस प्रमाण पत्र टैक्सी परमीट तथा पर्यावरण प्रमाण पत्र इत्यादि सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति का एक सेट अभिलेख हेतु निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा । उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

21– वाहन स्वामी/प्रदायकर्त्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के उपरांत मांग एवं आवश्यकतानुसार आदेशदाता अधिकारी के पास मय वाहन चालक के वाहन निर्धारित स्थान (कार्यालय) में भेजना होगा अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी ।

22– वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल हैं, वाहन प्रदाता/स्वामी स्वंय वहन करेगा ।

23– वाहन आवश्यकता/मांग अनुसार **वित्त वर्ष 2017–18** (अप्रेल–17 से मार्च–2018 तक) भ्रमण हेतु समय–समय पर किराये पर लिये जावेगें । मान्य दरें 31.03.2018 अथवा आगामी निविदा स्वीकृत होने तक के लिये लागू रहेगी ।

24– फर्मो/संस्थाओं द्वारा तकनिकी पक्ष की जानकारी पूर्ण करने के लिये निविदाकर्ता को राशि रू0 50/– मात्र के स्टाम्प पर वाहन क0/वाहन स्वामी का नाम/बीमा/फिटनेस इत्यादि जानकारी के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती हैं तो मैं वाहन क0/वाहन स्वामी का नाम/बीमा/फिटनेस/वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र/वाहन चालक का नाम तथा उसके ड्रायविंग लायसंस की छायाप्रति का एक सेट तत्काल प्रस्तुत कर दूंगा । यदि निविदाकर्त्ता फर्म/संस्था उक्त शर्त की पूर्ति करने में असफल रहती है, तो उसकी जमा कराई गई अमानत की राशि रू0 10,000/–(राशि रू0 दस हजार मात्र) राजसात कर ली जावेगी तथा निविदा की स्वीकृत दर पर अन्य से वाहन किराये पर लिये जाने के लिये कार्यालय स्वंतत्र रहेगा, इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी, तथा फर्म/संस्था की निविदा स्वीकृत होने पर वाहन प्रदाता एवं वाहन स्वामी तथा आबंटित अधिकारी के मध्य राशि रू0 500/– मात्र के स्टाम्प पत्र पर अनुबंध निष्पादित किये जाने की जवाबदारी वाहन प्रदाता फर्म/संस्था की होगी, अनुबंध न कराये जाने की दशा में निविदा अस्वीकृत की जाकर अमानत की राशि राजसात की जावेगी। सभी वाहन अल्प समय की सूचना पर उपलब्ध कराने मे सक्षम हो ।

25– निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त अथवा डाक द्वारा प्रेषित निविदाऐं विलम्ब से प्राप्त होती है तो प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

26– वाहन किराये पर देने की दर संलग्न प्रपत्र अनुसार अंकित करना होगा ।

27– निविदा स्वीकृत होने के उपरांत स्वीकृत निविदाकार तथा वाहन आबंटित अधिकारी के मध्य राशि रू0 500/– के स्टाम्प पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा ।

28– अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वाहन अनुबंध में उल्लेखित अवधि के पूर्व भी बिना कोई कारण बताये अनुबन्ध समाप्त कर सकता हैं ।

29– निविदाकर्त्ता वाहन प्रदाता/स्वामी को अपना वाहन किराये से छुडाना हो तो दो माह के पूर्व नोटिस/क़ार्यालय को लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसका दो माह के किराये की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

30– शासन निर्देशानुसार सर्विस टैक्स/टी0डी0एस0 का कटोत्रा भुगतान के समय किया जावेगा जो मान्य होगा, इस हेतु निविदा कर्ता फर्म/संस्था/व्यक्ति का **पेन नं0 तथा सर्विस टैक्स नंबर** होना अनिवार्य हैं ।

उ० ५८

31-- वाहन किराये की दरे बंद लिफाफें में दिनांक **06.04.2017** को अपरान्ह **3.00** बजे तक स्वीकार की जावेगी, जो उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक **07.04.2017 अपरान्ह 1.00** बजे खोली जावेगी ।

32-- निविदा के साथ ''प्रदूषण ,नियंत्रण प्रमाण–पत्र'' की छायाप्रति भी संलग्न की जाना अनिवार्य हैं ।

33-- किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला – खंडवा का होगा तथा यह **अंतिम व बंधनकारी** होगा ।

(स्वाति मीणा नायक)
कलेक्टर
जिला – खंडवा म0प्र0
दूरभाष क0 0733–2224153
खंडवा, दिनांक 27 / 03 / 17

पृ0क0 क / वित्त / 2017 / 4668
प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख राजस्व आयुक्त म0प्र0 भोपाल ।
2– आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर ।
3– समस्त कलेक्टर ——————————म0प्र0 की ओर प्रचार प्रसार हेतु ।
3/ पुलीस अधीक्षक, खंडवा ।
4/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5/ अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी खंडवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6/ अनुविभागीय अधिकारी खंडवा / हरसूद / पंधाना / पुनासा ।
7/ तहसीलदार खंडवा / हरसूद / पंधाना / पुनासा / खालवा ।
8/ आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा ।
9/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत हरसूद / पंधाना / मूंदी / ओंकारेश्वर ।
10/ सहायक संचालक, जनसम्पर्क खंडवा को विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित ।
11/ प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा कलेक्टोरेट खंडवा ।
की ओर प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करें ।

कलेक्टर
जिला – खंडवा (म0प्र0)